सत्यमेव जयते

संख्या : — /जी0एस0(शिक्षा)/A15-52/2021

प्रेषक,

डा0 रंजीत कुमार सिन्हा,
सचिव श्री राज्यपाल/कुलाधिपति।

सेवा में,

कुलपति,
हेमवती नन्दन बहुगुणा उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय,
देहरादून।

राज्यपाल/कुलाधिपति सचिवालय उत्तराखण्ड : **देहरादून : दिनांक : 06 नवम्बर, 2022**

महोदय,

कृपया अपने पत्र संख्या–509 दिनांक 09 जुलाई, 2021 तथा पत्र संख्या–1870 दिनांक 02 सितम्बर, 2022 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2– उपरोक्त सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नियामक संस्था, निरीक्षण मण्डल की आख्या एवं कुलपति की संस्तुति के आधार पर हेमवती नन्दन बहुगुणा उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय अधिनियम–2014 की धारा–36(1) के अन्तर्गत निम्नवत् संस्थान को उसके सम्मुख वर्णित पाठ्यक्रम, सीटों एवं अवधि की नवीन अस्थाई सम्बद्धता हेतु छात्रहित में मा0 कुलाधिपति द्वारा अनुमोदन/स्वीकृति निम्न उपबन्धों के साथ प्रदान की गई है :–

महाविद्यालय/संस्थान का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	प्रवेश क्षमता (कुलपति की संस्तुति के अनुसार)	शैक्षिक सत्र
1	2	3	4
श्रीमती मंजीरा देवी नर्सिंग एण्ड पैरामेडिकल कॉलेज, रूकमणी नगर, हिटाणु, धनारी, उत्तरकाशी।	बी0एससी0 (नर्सिंग)	36	2020–21

(1) विश्वविद्यालय संस्थान से Society Registration Act के अन्तर्गत निर्धारित Legal Obligation Annual Balance Sheet सम्बन्धी साक्ष्य की सत्यापित प्रति प्राप्त कर एक माह के भीतर राज्यपाल सचिवालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे साथ ही अग्रेत्तर सत्रों के सम्बद्धता प्रस्तावों में भी इन तथ्यों का उल्लेख किया जाय।

(2) प्राभूति राशि के मानक पूर्ण नहीं है, पुस्तकालय में जर्नल्स उपलब्ध नहीं है तथा एन्टी रैगिंग सम्बन्धी प्रपत्र में किया गया बदलाव सत्यापित नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में विश्वविद्यालय को निर्देशित किया जाना है कि संस्थान में उक्त सभी मानक पूर्ण करते हुए राज्यपाल सचिवालय को अवगत कराया जाय।

(3) उत्तराखण्ड शासन द्वारा शासनादेश दिनांक 14 दिसम्बर, 2016 द्वारा व्यवसायिक पाठ्यक्रमों हेतु प्राभूति राशि के सम्बन्ध में शासन स्तर पर लिये गये निर्णय का पूर्ण रूप से अनुपालन विश्वविद्यालय व संस्थान द्वारा किया जायेगा, उसके अनुपालन की सूचना से इस सचिवालय को भी अवगत कराया जायेगा।

(4) यदि संस्थान द्वारा एक या एक से अधिक विश्वविद्यालय से पाठ्यक्रमों की सम्बद्धता प्राप्त की गई हो तो संस्थान समस्त पाठ्यक्रमों के सम्बन्ध में पाठ्यक्रमवार मानक पूर्ण किये जाने विषयक आख्या विश्वविद्यालय को उपलब्ध करायेगा तथा विश्वविद्यालय तद्सम्बन्धी आख्या राज्यपाल सचिवालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगा।

क्रमशः........2/....

(5) निरीक्षण मण्डल की आख्या एवं कुलपति की संस्तुति के दृष्टिगत विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद्, यू0जी0सी0 विनियमों व नियामक संस्था के मानक पूर्ण करने की दशा में सम्बद्धता सम्बन्धी आदेश निर्गत करने की कार्रवाई करें व विश्वविद्यालय तत्सम्बन्धी कृत कार्रवाई की सूचना दो माह के भीतर मा0 कुलाधिपति महोदय के अवगतार्थ उपलब्ध करायें।

(6) अग्रेत्तर सत्रों के सम्बद्धता प्रस्ताव यू0जी0सी0 विनियम/नियामक संस्था तथा शासन द्वारा निर्धारित मानक पूर्ण होने के उपरान्त ही स्वीकार्य होंगे, अन्यथा की स्थिति में अपूर्ण प्रस्तावों पर विचार नहीं किया जायेगा, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व विश्वविद्यालय का होगा।

तदनुसार अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

भवदीय,

(डा0 रंजीत कुमार सिन्हा)
सचिव श्री राज्यपाल/कुलाधिपति।

संख्या : 3302 (1)/जी0एस0 (शिक्षा)/A15-52/2021 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. सचिव, चिकित्सा शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन।
2. प्राचार्य/प्रबन्धक, श्रीमती मंजीरा देवी नर्सिंग एण्ड पैरामेडिकल कॉलेज, रूकमणी नगर, हिटाणु, धनारी, उत्तरकाशी
3. कम्प्यूटर प्रकोष्ठ/गार्ड फाइल हेतु।

आज्ञा से

(स्वाति एस0 भदौरिया)
अपर सचिव श्री राज्यपाल/कुलाधिपति।